



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

छः अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-27.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना अटरिया व तालगांव द्वारा गोवध व चोरी जैसे अपराधों में संलिस कुल 06 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। संलिस अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी। विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

थाना अटरिया

विवरण:-

थाना अटरिया पुलिस द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिस 04 अभियुक्तगण 1.इब्राहिम पुत्र इशहाक 2. शमशाद पुत्र युनुस सर्व निवासीगण ग्राम उमरिया थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी 3.अनीश पुत्र शंकर महावत निवासी ग्राम पंहुपपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ 4.सूरज पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जंगपुर थाना अटरिया सीतापुर के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है। सभी अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवध जैसे अपराध कारित करते हैं। अतः इस संबंध में थाना अटरिया पर मु0अ0सं0 213/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त शमशाद कारागार में निरुद्ध है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 213/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अटरिया सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

- 1.इब्राहिम पुत्र इशहाक नि0 उमरिया थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी
- 2.अनीश पुत्र शंकर महावत नि0 पंहुपपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ
- 3.सूरज पुत्र पप्पू नि0 जंगपुर थाना अटरिया
- 4.शमशाद पुत्र युनुस नि0 उमरिया थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण इब्राहिम, अनीश, सूरज व शमशाद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 56/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अटरिया सीतापुरा
2. मु0अ0सं0 213/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अटरिया सीतापुरा

थाना तालगांव

विवरण:-

थाना तालगांव पुलिस द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त 02 अभियुक्तगण 1.जहीम खान पुत्र मो0 फारुख नि0 चकजोशी नवीनगर थाना लहरपुर 2.लवकुश शुक्ला उर्फ प्रिंस पुत्र दिवाकर शुक्ला नि0 मो0 कटरा नवीनगर थाना लहरपुर सीतापुर के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है। दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु चोरी जैसे अपराध कारित करते हैं। अतः इस संबंध में थाना तालगांव पर मु0अ0सं0 355/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त लवकुश उपरोक्त कारागार में निरुद्ध है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 355/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. जहीम खान पुत्र मो0 फारुख नि0 चकजोशी नवीनगर थाना लहरपुर
2. लवकुश शुक्ला उर्फ प्रिंस पुत्र दिवाकर शुक्ला नि0 मो0 कटरा नवीनगर थाना लहरपुर सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जहीम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 239/21 धारा 379/411 भादवि थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 355/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त लवकुश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 235/21 धारा 307 भादवि थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 239/21 धारा 379/411 भादवि थाना तालगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 240/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना तालगांव सीतापुर
4. मु0अ0सं0 241/21 धारा 411/413 भादवि थाना तालगांव सीतापुर
5. मु0अ0सं0 355/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव सीतापुर